वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रौद्योगिकी विकास एवं प्रदर्शन कार्यक्रम

उद्योग, अनुसंधान एवं विकास संस्थापनाओं और शिक्षण संस्थानों के बीच इंटरफेस को सुदृढ़ करने के लिए तथा नवप्रवर्तनीय उत्पाद और प्रक्रिया प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रदर्शन के लिए डीएसआईआर का आंशिक समर्थन देने का प्रस्ताव है। विकास और प्रदर्शन का यह कार्य संकल्पना अथवा प्रयोगशाला स्तर पर स्थापित प्रमाण से लेकर पायलट स्तर तक के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए दिया जाएगा, जिससे उत्पाद का वाणिज्यीकरण हो सके।

विभाग, उद्योग अथवा उद्योग एवं वैज्ञानिक संस्थानों के संयुक्त प्रस्तावों को आमंत्रित करता है –

समर्थित गतिविधियां-

- नए एवं बेहतर बनाए गए उत्पाद अथवा प्रक्रिया के लिए स्वदेशी लैब स्केल प्रौद्योगिकी का उत्थापन एवं प्रदर्शन
- आयातित प्रौद्योगिकी का समावेशन एवं ग्रेड-उन्नयन
- उद्योग-समूहों द्वारा सामान्य उपयोग में लायी जाने वाली प्रौद्योगिकियों का विकास एवं प्रदर्शन
- सरकार की महत्वाकांक्षी और मिशन मोड परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रदर्शन
- सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की प्राथमिकता प्राप्त प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाएं जिन्हें अन्य मंत्रालयों के परामर्श एवं सह-वित्तीय पोषण प्राप्त हो

सहायता का विस्तार –

- यह सहायता, व्यावसायिक सेवाओं, समर्पित परियोजना उपकरणों, आदिप्ररूप विकास, आरंभिक संयंत्र निर्माण व संस्थापना, अनुसंधान, परामर्श कार्य, जांच व प्रयोगकर्त्ता द्वारा परीक्षणों आदि पर आने वाले व्यय के लिए होगी।
- सामान्यता यह सहायता परियोजना की लागत के 50% तक सीमित होगी। उपयुक्त औचित्य द्वारा समर्थित होने पर सहायता की अधिक मात्रा पर विचार किया जा सकता है।
- निधियों के संवितरण से पहले कम्पनियों को एक करार करना होगा।

निधियों का वापिस भुगतान –

परियोजना के अन्तर्गत विकसित उत्पाद/प्रक्रिया के सफलतापूर्वक वाणिज्यीकरण के पश्चात् कम्पनी को डीएसआईआर द्वारा दी गई अनुदान राशि की 1.3 गुना राशि पाँच बराबर वार्षिक किस्तों में लौटानी होगी।

आवेदक के लिए पात्रता मानदण्ड –

- 3 वर्षों से अधिक पुरानी और सुदृढ़ वित्तीय उपलब्धियों वाली पंजीकृत कम्पनी
- पंजीकृत कम्पनी (उपर्युक्त के अनुसार) एवं वैज्ञानिक संस्था का संघ
- उन कम्पनियों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी जिनकी संस्थागत अनुसंधान एवं विकास इकाई डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त हैं

क्षेत्र जिनमे प्रस्ताव आमंत्रित हैं -

- कंप्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी
- इलैक्ट्रानिकी, दूर- संचार
- औषध और भेषज, रसायन
- ऑटोमोबाइल और ऑटोमोबाइल पुर्जे
- नई सामग्री, निर्माण, मशीन टूल्स
- ऊर्जा, पर्यावरण, इंजीनियरी
- खाद्य संसाधन, जल
- नवप्रवर्तन से संबंधित ऐसा कोई भी अन्य क्षेत्र, जिससे महत्वपूर्ण औद्योगिक अनुप्रयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

आवेदकों के लिए अतिरिक्त आकर्षण

- इस योजना के अन्तर्गत समर्थनप्राप्त परियोजनाएं आयकर अधिसूचना सं. 50/96 दिनांक 23/7/1996 के अनुसार अनुसंधान एवं विकास के लिये आयातित सामानों पर सीमा शुल्क की छूट लेने की हकदार होंगी।

आवेदन की प्रक्रिया

आवेदन केवल निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन का प्रारूप व दिशा निर्देश विभाग की वेबसाईट www.dsir.gov.in पर उपलब्ध है। चयनित आवेदकों को प्रस्तावों पर विचार के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष, प्रस्तुतीकरण का अवसर दिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 24 दिसम्बर, 2009 है

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रमुख, टीपीडीयू, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, टेक्नोलोजी भवन, न्यू मेहरोली रोड़, नई दिल्ली- 110016, ई-मेल- rra@nic.in